KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

SSC GD FOUNDATION 2024 -25

Bilingual

PRABHU SIR

संसद Parliament

संघ ← भारत ←

→ विधि निर्माण

Art.79 संसद Parliament

3 अंग

① लोकसभा Art 81

② राज्यसभा Art 80

③ राष्ट्रपति Art.52

250 / 12 मनोनीत / 238 निर्वाचित max / 233 — वर्तमान निर्वाचित

लोकसभा Art 81

- गठन Formation - 17 अप्रैल 1952
- प्रथम सत्र First Session - 13 मई 1952
- निम्न सदन या प्रथम सदन
  Lower House or First House
- लोकप्रिय सदन Popular House
- अस्थायी सदन
- अधिकतम सीट - 550 (राज्यों -530 संघ शासित राज्यों से-20)
- वर्तमान सीट - 543 (राज्यों -530 संघ शासित राज्यों से-13)

राज्यसभा Art 80

- गठन Formation - 3 अप्रैल, 1952
- प्रथम सत्र First Session - 13 मई 1952
- उच्च सदन या दवितीय सदन
  Upper House or Second House
- स्थायी सदन Permanent House
- अधिकतम सीट - 250 (राज्यों से - 234 दिल्ली -3 पुदुदुचेरी -1 मनोनीत -12)
- वर्तमान सीट- 245 (राज्यों से - 229 दिल्ली -3 पुदुदुचेरी -1 मनोनीत -12)

LS

योग्यता- Qualification-

84

1. भारत का नागरिक हो।
Must be a citizen of India.
२. न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूर्ण हो।
Must have completed mini. age of 25 years.
३. लाभ के पद पर नहीं हो।
Must not be in a position of profit.

RS.

योग्यता- Qualification-

1. भारत का नागरिक हो।
Must be a citizen of India.
२. न्यूनतम आयु 30 वर्ष पूर्ण हो।
Must have completed mini. age of 30 years.
३. लाभ के पद पर नहीं हो।
Must not be in a position of profit.

निर्वाचन – Election

1. प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा।
   Directly by the people.
2. 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा। Nomination of 2 Anglo-Indian members by the President.

↳ अनु. 330 में

104वां C.A.A. 2020 - Anglo Indian का मनोनयन समाप्त

Anglo = आंग्ल = अंग्रेज-ब्रिटेन; Indian = भारतीय → संतान

(RS)

निर्वाचन – Election

1. अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के अनुपातिक प्रणाली द्वारा
   Indirectly elected members of the Legislative Assembly by proportional system
2. 12 सदस्यों का मनोनयन निम्न 4 क्षेत्रो से, कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान
   Nomination of 1 2 members from the following 4 fields, art, literature, social service, science

कार्यकाल – Tenure

1. 5 वर्ष के बाद स्वतः विघटित। Automatically dissolved after 5 years.
२. इससे पहले मान्त्री परिषद् की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। Earlier, the President can dissolve the term on the advice of the Constituent Council.
3. राष्ट्रिय आपातकाल की स्थिति में प्रत्येक बृद्धि पर एक साल की बृद्धी। In case of national emergency, there is an extension of one year on every extension.

कार्यकाल – Tenure

1. स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होता। It is a permanent house, it never gets dissolved.
२. सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। The tenure of members is 6 years.
3. प्रत्येक 2 वर्ष पर एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण। The tenure of one-third of the members completes every 2 years.

कार्य / शक्ति –Functions/Powers

1. विधेयकों को पारित करना।
   Passing bills.
2. धन विधेयक पर एकाधिकार। → लोकसभा
   Monopoly on money bills.
3. मंत्री परिषद् को उत्तरदायी बनाना
   To make the Council of Ministers responsible → लोकसभा

कार्य / शक्ति –Functions/Powers

1. विधेयकों को पारित करना।
   Passing bills.
2. धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकते है।
   The Money Bill can be stalled only for 14 days.
3. अनु 249 , 312 और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया पर एकाधिकार।
   Articles 249, 312 and monopoly on the procedure for removal of Vice President from office.

गणपूर्ति - सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 होगा। → आर्ट-100
Quorum - It will be 1/10 of the total number of members of the House.

सत्र - वर्ष के दौरान अधिकतम 3 सत्र होता है। 1.शीत सत्र , 2.मानसून सत्र ,3. बजट सत्र
Session - There are maximum 3 sessions during the year. 1.Winter session, 2.Monsoon session,3. Budget session

पुराना संसद भवन -Old Parliament House

संसद भवन की आधारशिला 12 फरवरी, 1921 को महामहिम द ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी । The foundation stone of the Parliament House was laid by His Excellency the Duke of Connaught on 12 February 1921.

इस भवन के निर्माण में छह वर्ष लगे और इसका उद्घाटन समारोह भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इर्विन ने 18 जनवरी, 1927 को आयोजित किया ।The construction of this building took six years and its inauguration ceremony was held by the then Governor General of India, Lord Irwin, on 18 January 1927.

इसके निर्माण पर 83 लाख रूपये की लागत आई ।Its construction cost Rs 83 lakh.

नया संसद भवन –New Parliament House

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया जो पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। Recently, the Prime Minister of India inaugurated the country's new Parliament House which is part of the revamped Central Vista project.

आर्किटेक्ट बिमल पटेल द्वारा डिज़ाइन किये गए नए संसद भवन का निर्माण वर्ष 2019 में शुरू हुआ। Construction of the new Parliament House, designed by architect Bimal Patel, began in the year 2019.

वर्ष 2026 के बाद सीटों की कुल संख्या पर रोक हटने पर लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 545 से काफी बढ़ने की संभावना है।
नया संसद भवन आकार में त्रिकोणीय है, यह ऐसा इसलिये है क्योंकि जिस भूखंड पर बना है वह त्रिकोणीय है।

The number of Lok Sabha seats is likely to increase substantially from the current 545 after 2026 when the cap on the total number of seats is lifted. The new Parliament House is triangular in shape, this is because the plot on which it is built is triangular.

लोकसभा:
नए लोकसभा कक्ष में एक मोर विषयवस्तु को अपनाया गया है, जिसमें दीवारों और छत पर राष्ट्रीय पक्षी के पंखों के समान नक्काशीदार डिज़ाइन तैयार किये गए हैं, जो टील कार्पेट से सुसज्जित हैं।
लोकसभा कक्ष में वर्तमान के 543 के बजाय 888 सीटें होंगी, जिसकी क्षमता बढ़कर 1,272 हो जाएगी। सेंट्रल हॉल के अभाव में लोकसभा का उपयोग दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हेतु किया जाएगा। Lok Sabha: The new Lok Sabha chamber adopts a peacock theme, with carved designs resembling the feathers of the national bird on the walls and ceiling, adorned with teal carpet. The Lok Sabha chamber will have 888 seats instead of the current 543, increasing the capacity to 1,272. In the absence of a Central Hall, the Lok Sabha will be used for joint sittings of the two Houses.

राज्यसभा:

राज्यसभा कक्ष को लाल कालीनों के साथ इसकी थीम के रूप में कमल से सज़ाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक बेंच पर दो सांसद बैठ सकेंगे और प्रत्येक सांसद की डेस्क पर टच स्क्रीन होगी।

राज्यसभा कक्ष अब 250 की मौजूदा क्षमता के विपरीत 384 संसद सदस्यों (सांसदों) को समायोजित कर सकता है। परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या में भविष्य में होने वाली किसी भी वृद्धि को ध्यान में रखकर दोनों कक्षों की क्षमता को पहले से अधिक किया गया है।

Rajya Sabha: The Rajya Sabha chamber has been decorated with red carpets with lotus as its theme. Both the Lok Sabha and Rajya Sabha will accommodate two MPs on one bench and each MP will have a touch screen on his desk. The Rajya Sabha chamber can now accommodate 384 Members of Parliament (MPs) as against the existing capacity of 250. The capacity of both the chambers has been increased to take into account any future increase in the number of MPs after delimitation.

गोल्डन राजदंड:
अंग्रेज़ो से सत्ता के हस्तांतरण को चिह्नित करने के लिये आज़ादी की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू को दिया गया गोल्डन राजदंड (सेन्गोल) स्पीकर के पोडियम के पास नए लोकसभा कक्ष में रखा जाएगा। यह राजदंड उन्हें तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा दिया गया था।

Golden Sceptre: The Golden Sceptre (Sengol) given to Jawaharlal Nehru on the eve of Independence to mark the transfer of power from the British will be placed in the new Lok Sabha chamber near the Speaker's podium. The sceptre was given to him by priests from Tamil Nadu.

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING